



नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्यप्रदेश शासन

प्रारूप-दो

(देखिए नियम 3(7))

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक : MP/UADD/BP/1207/2023

दिनांक : 27/01/2023

संदर्भ संख्या : MPCLR/202212/283143

मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम , 1956 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 तथा उनके अंतर्गत , निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के उपबंधों के अधीन श्री / श्रीमती / मेसर्स **SAGE COLONIZER** आत्मज / अधिकृत व्यक्ति **SANJEEV AGRAWAL** निवासी **250, SAGAR PLAZA, M P NAGAR ZONE 2 BHOPAL** जिला **भोपाल** राज्य मध्यप्रदेश का एतद द्वारा निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों पर कॉलोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जाता है :

- यह रजिस्ट्रीकरण इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से (निरस्त न होने की दशा में) पांच वर्ष के लिए मध्यप्रदेश राज्य के समस्त नगर पालिकाओं में विधि मान्य होगा।
- प्रत्येक कॉलोनी के लिए विकास / विकास कार्यों को प्रारम्भ करने की अनुज्ञा संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अलग से प्राप्त करनी होगी।

भागीदारों की जानकारी

S.No	Name	Mobile No	Email-Id	Address
1	KIRAN AGRAWAL	9826323107	sushmasanjayh@gmail.com	E-2/134, ARERA COLONY BHOPAL
2	SANJEEV AGRAWAL	9826026008	sushmasanjayh@gmail.com	E-2/134, ARERA COLONY BHOPAL

वैधता की तिथि :26/01/2028



Signature

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्य प्रदेश, भोपाल

दिनांक :27/01/2023

टीप – कॉलोनी की स्थापना , विकास कार्य , कालोनी में भू-खण्डों / भवनों का आवंटन या आवंटन करने के करार करने की पात्रता कॉलोनी के विकास की अनुज्ञा नियमानुसार प्राप्त करने के पश्चात् ही होगी।